प्रकरण संख्या 36/2017 नाथू व अन्य बनाम किडिया व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जाडी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित खाता संख्या 69 की कुल किता 5 रकबा 8.86 हैक्टर भूमि स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता भल्ला सगे भाई थे तथा उक्त आराजियात संयुक्त रूप से अर्जित की तथा आपसी सहमति से विभाजन कर मौके पर आधे–आधे हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः वादग्रस्त आराजियात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मध्य विभाजन किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.06.2017 से वादी का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र निगम उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का जवाबदावा व साक्ष्य लिये बिना ही एकपक्षीय निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ	

न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है व बिना जवाबदावा लिये वादी/रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.04.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 13:34:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: